International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बदलती भूमिका: 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में

चंदन कुमार ठाकुर[1] एवं डॉ० आभा कुमारी[2]

[1]शोधछात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
[2]सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, एम० डी० डी० एम० कॉलेज, मुजफ्फरपुर।

सारांश (Abstract) :
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) संयुक्त राष्ट्र का वह प्रमुख अंग है जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वर्ष 1945 में स्थापित इस परिषद ने दशकों तक अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के समाधान, शांति स्थापना अभियानों, प्रतिबंधों तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक शक्ति–संतुलन तथा सुरक्षा की अवधारणा में आए व्यापक परिवर्तनों ने इसकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता को गंभीर चुनौती दी है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था अब बहुध्रुवीय (Multipolar) स्वरूप ग्रहण कर रही है, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। इसके विपरीत, सुरक्षा परिषद की संरचना आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति–संरचना को प्रतिबिंबित करती है। पाँच स्थायी सदस्यों–संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसकृको प्राप्त वीटो शक्ति कई अवसरों पर परिषद की निर्णय–प्रक्रिया को प्रभावित करती रही है, जिसके कारण अनेक महत्वपूर्ण वैश्विक संकटों में समयबद्ध और प्रभावी निर्णय नहीं हो सके हैं। इससे परिषद की लोकतांत्रिक वैधता, प्रतिनिधित्व और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न हुए हैं। यह शोध–पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 21वीं सदी की प्रमुख वैश्विक चुनौतियों–अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, वैश्विक महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तथा रूस–यूक्रेन, सीरिया और गाजा जैसे समकालीन संघर्षों के संदर्भ में इसकी बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना अभियानों, प्रतिबंधों, संघर्ष–निरोध, मानवीय सहायता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु स्थायी सदस्यों के राजनीतिक हितों, वीटो शक्ति के अत्यधिक प्रयोग तथा संरचनात्मक सीमाओं के कारण इसकी प्रभावशीलता कई मामलों में सीमित रही है।

मुख्य शब्द (Keywords) : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वैश्विक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति, वीटो शक्ति, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन भारत की स्थायी सदस्यता।

1. प्रस्तावना :

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का सबसे शक्तिशाली अंग है, जिसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। चार्टर के अध्याय V–VII के अंतर्गत इसे शांति भंग की स्थिति में त्वरित कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। प्रस्ताव पारित करना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना, शांति सैनिक भेजना और Chapter VII के तहत बल प्रयोग की अनुमति देना इसके प्रमुख साधन हैं। P5 देशों (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम) को Article 27(3) के तहत वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो मूलतः महाशक्तियों के बीच सहमति सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया था।

हालाँकि, 21वीं सदी में वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। शीत युद्धोत्तर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उभरती शक्तियाँ जैसे भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी (G4) अधिक सक्रिय भूमिका की मांग कर रही हैं। साथ ही, पारंपरिक युद्धों के स्थान पर गैर–पारंपरिक चुनौतियाँ– आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर हमले, महामारियाँ और संसाधन संघर्षकृप्रमुख हो गई हैं। च्ठ के बीच बढ़ती भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता (विशेषकर रूस–पश्चिम और चीन–अमेरिका) ने UNSC को बार–बार लकवाग्रस्त किया है। वीटो का दुरुपयोग (रूस द्वारा सीरिया और यूक्रेन में, अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में) और विकासशील देशों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इसकी लोकतांत्रिक वैधता को गंभीर चुनौती दे रहा है। वर्तमान अध्ययन UNSC की ऐतिहासिक भूमिका का आकलन करते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों में इसकी प्रभावशीलता, प्रमुख संकटों (यूक्रेन, सीरिया, गाजा) का विश्लेषण और सुधार प्रस्तावों पर चर्चा करता है। उद्देश्य यह है कि न्छैब् को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में सार्थक बहस को बढ़ावा मिले।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study) –

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 21वीं सदी में बदलती भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना तथा यह समझना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित इसकी संरचना आज की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और नई वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप कितनी प्रासंगिक एवं प्रभावी है।

3. शोध प्रश्न (Research Questions) –

21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों (बहुध्रुवीयता, गैर–पारंपरिक खतरे) के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की भूमिका कितनी प्रभावी एवं प्रासंगिक बनी हुई है?

4. शोध पद्धति (Research Methodology) :

वर्तमान अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) प्रकृति का है। इसमें UNSC की भूमिका का ऐतिहासिक एवं समकालीन संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। यह द्वितीयक डेटा (Secondary Data) पर आधारित है।

अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (UNSC Resolutions), संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रिपोर्टें, वार्षिक प्रतिवेदन, विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें, शोध–पत्र, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, सरकारी दस्तावेज तथा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नलों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संबंध, वैश्विक शासन, सामूहिक सुरक्षा तथा संस्थागत सुधार से संबंधित समकालीन साहित्य का भी आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण की प्रक्रिया में तुलनात्मक (Comparative), ऐतिहासिक (Historical) एवं विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन 21वीं सदी की प्रमुख घटनाओं– जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, COVID–19 महामारी, रूस–यूक्रेन युद्ध तथा अन्य संघर्ष के संदर्भ में किया गया है।

यह शोध वैचारिक (Conceptual) एवं नीतिगत (Policy–Oriented) दोनों दृष्टिकोणों को समाहित करता है, जिससे सुरक्षा परिषद की बदलती भूमिका, उसकी सीमाओं तथा संभावित सुधारों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके।

5. 21वीं सदीः नई सुरक्षा चुनौतियाँ और परिषद की बदलती भूमिका

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन के गठन के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी

गई। परन्तु 21वीं सदी में वैश्विक सुरक्षा की प्रकृति पारंपरिक युद्धों से आगे बढ़कर बहुआयामी हो गई है। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1373 (2001) पारित कर आतंकवाद के वित्तपोषण, सीमा–पार आतंकवादी नेटवर्क तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विरुद्ध व्यापक कानूनी ढाँचा विकसित किया। इसके साथ ही आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में शामिल किया गया।

वर्ष 2011 में लीबिया संकट के दौरान परिषद ने Responsibility to Protect (R2P) सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्ताव 1973 पारित कर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप को स्वीकृति दी। यह मानवीय हस्तक्षेप के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, यद्यपि बाद में इसके क्रियान्वयन को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुए। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के अधीन अनेक शांति स्थापना अभियान संचालित हो रहे हैं, जो संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद सीरिया (2011 से), रूस–यूक्रेन युद्ध (2022 से) तथा गाजा संकट जैसे मामलों में सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों के परस्पर विरोधी हितों और वीटो शक्ति के कारण प्रभावी एवं समयबद्ध निर्णय लेने में बार–बार विफल रही है। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि परिषद की वर्तमान संरचना 21वीं सदी की जटिल भू–राजनीतिक एवं गैर–पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है।

6. 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियाँ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की भूमिका

21वीं सदी में वैश्विक सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सैन्य संघर्षों से आगे बढ़कर बहुआयामी हो गई है। आज अंतरराष्ट्रीय शांति के समक्ष केवल राज्यों के बीच युद्ध ही चुनौती नहीं हैं, बल्कि गृहयुद्ध, आतंकवाद, साइबर हमले, जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य एवं ऊर्जा संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मानवीय आपदाएँ भी वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की भूमिका का दायरा विस्तृत हुआ है, किंतु उसकी प्रभावशीलता कई बार स्थायी सदस्यों के राजनीतिक मतभेदों तथा वीटो शक्ति के कारण सीमित रही है।

7. क्षेत्रीय संघर्ष और वीटो शक्ति की चुनौती

21वीं सदी में सुरक्षा परिषद के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय संघर्षों का प्रभावी समाधान रही है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र चार्टर परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का व्यापक अधिकार देता है, फिर भी स्थायी सदस्यों के राजनीतिक हित और वीटो शक्ति अनेक मामलों में निर्णय–प्रक्रिया को बाधित करते रहे हैं।

(क) सीरिया गृहयुद्ध – वर्ष 2011 में प्रारंभ हुए सीरिया के गृहयुद्ध ने सुरक्षा परिषद की कार्यक्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। संघर्ष के दौरान नागरिकों की व्यापक हानि, रासायनिक हथियारों के प्रयोग, शरणार्थी संकट तथा मानवीय आपदा के बावजूद परिषद निर्णायक कार्रवाई करने में असफल रही। रूस और चीन ने सीरियाई सरकार के विरुद्ध प्रस्तावों तथा कठोर प्रतिबंधों से संबंधित अनेक मसौदा प्रस्तावों पर बार–बार वीटो का प्रयोग किया। परिणामस्वरूप युद्ध लंबा खिंचता गया और लाखों लोगों की मृत्यु तथा करोड़ों लोगों के विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हुई।

(ख) रूस–यूक्रेन युद्ध – फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण के बाद सुरक्षा परिषद ने संकट पर विचार किया, किंतु रूस स्वयं परिषद का स्थायी सदस्य होने के कारण अपने विरुद्ध प्रस्तावों को वीटो करता रहा। परिणामस्वरूप परिषद कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकी। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष आपातकालीन अधिवेशन बुलाकर आक्रमण की व्यापक निंदा की तथा अनेक प्रस्ताव पारित किए। यद्यपि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित किया।

(ग) गाजा संकट – इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष, विशेषकर गाजा में उत्पन्न मानवीय संकट, सुरक्षा परिषद के लिए एक और महत्वपूर्ण परीक्षा रहा है। युद्धविराम (Ceasefire), मानवीय सहायता तथा नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रस्ताव स्थायी सदस्यों के मतभेदों के कारण पारित नहीं हो सके। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ प्रस्तावों पर वीटो का प्रयोग किया, जिससे तत्काल युद्धविराम सुनिश्चित करने के प्रयास बाधित हुए।

(घ) वीटो शक्ति का प्रभाव – वीटो प्रणाली सुरक्षा परिषद की सबसे विवादास्पद विशेषता है। इसका मूल उद्देश्य महाशक्तियों के बीच सहमति बनाए रखना था, किंतु व्यवहार में इसका प्रयोग कई बार परिषद की प्रभावशीलता को सीमित करता है। ऐतिहासिक आँकड़ों के अनुसार 1946 से 2025 तक वीटो का सर्वाधिक प्रयोग सोवियत संघध्रूस द्वारा किया गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता रहा है। इस कारण अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित नहीं हो सके और परिषद की लोकतांत्रिक वैधता तथा विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे हैं।

8. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा परिषद की भूमिका

21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रह गया है, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाने लगा है। समुद्र–स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसमीय घटनाएँ, जल एवं खाद्य संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय प्रवासन तथा संसाधनों पर बढ़ते संघर्ष अनेक देशों की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं।

सुरक्षा परिषद ने पिछले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के संबंध पर अनेक विषयगत (Thematic) चर्चाएँ आयोजित की हैं तथा अफ्रीका के साहेल क्षेत्र, सोमालिया और अन्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा प्रभावों को स्वीकार किया है। वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा परिषद के औपचारिक एजेंडे में शामिल करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किंतु इसे रूस के वीटो के कारण स्वीकृति नहीं मिल सकी।

यद्यपि सुरक्षा परिषद ने जलवायु–संबंधी जोखिमों पर विचार–विमर्श को बढ़ावा दिया है, फिर भी वैश्विक जलवायु शासन का मुख्य मंच अभी भी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) और उसके अंतर्गत आयोजित सम्मेलन (COP) हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जलवायु सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद की भूमिका अभी भी सीमित और पूरक (Complementary) है।

9. आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और महामारियाँ

(क) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद – 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा घोषित किया। परिषद ने प्रस्ताव 1373 (2001) के माध्यम से सदस्य देशों को आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण पर रोक लगाने, सीमा–पार सहयोग बढ़ाने तथा आतंकवाद–रोधी कानूनों को सुदृढ़ करने के लिए बाध्य किया। बाद के वर्षों में इस्लामिक स्टेट, अल–कायदा तथा अन्य आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध प्रतिबंध समितियों का गठन किया गया, यात्रा प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध तथा संपत्ति फ्रीज जैसे उपाय अपनाए गए।

(ख) साइबर सुरक्षा – डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ साइबर हमले, महत्वपूर्ण अवसंरचना पर डिजिटल आक्रमण तथा सूचना सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयाम बन गए हैं। सुरक्षा परिषद ने साइबर खतरों पर कई चर्चाएँ आयोजित की हैं तथा विभिन्न सदस्य देशों, विशेषकर एस्टोनिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने इस विषय को परिषद के एजेंडे में प्रमुखता से उठाया है। इसके बावजूद साइबर युद्ध, राज्य–प्रायोजित साइबर हमलों तथा साइबर आचरण (Cyber Conduct) को नियंत्रित करने हेतु अब तक कोई व्यापक और बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा विकसित नहीं हो सका है। यह क्षेत्र अभी भी वैश्विक शासन की एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

(ग) वैश्विक महामारी – COVID–19 महामारी ने यह स्पष्ट किया कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। महामारी के दौरान सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2532 (2020) पारित कर विश्वभर में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय उद्देश्यों के लिए अस्थायी युद्धविराम (Global Humanitarian Ceasefire) का आह्वान किया। हालांकि यह प्रस्ताव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका व्यावहारिक प्रभाव सीमित रहा क्योंकि अनेक संघर्ष क्षेत्रों में हिंसा जारी रही। इस अनुभव ने यह संकेत दिया कि महामारी जैसी गैर–पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अधिक समन्वित और सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

10. सुधार प्रस्ताव और चुनौतियाँ (Reform Proposals and Challenges)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्तमान संरचना वर्ष 1945 की वैश्विक शक्ति–व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है, जबकि 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बहुध्रुवीय (Multipolar) और अधिक जटिल हो चुका है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 51 से बढ़कर 193 हो गई है, किंतु सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो प्रणाली में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप परिषद की प्रतिनिधिकता, वैधता और प्रभावशीलता को लेकर व्यापक बहस चल रही है। विभिन्न देशों एवं क्षेत्रीय समूहों ने परिषद के सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनका उद्देश्य इसे अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और उत्तरदायी बनाना है।

(क) G4 देशों का प्रस्ताव – सुरक्षा परिषद में सुधार का सबसे प्रमुख प्रस्ताव G4 समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं। इन देशों का तर्क है कि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। G4 प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिषद का विस्तार करते हुए नए स्थायी और अस्थायी सदस्य जोड़े जाने चाहिए। स्थायी सदस्यता के साथ वीटो शक्ति देने अथवा प्रारंभिक चरण में बिना वीटो के स्थायी सदस्यता प्रदान करने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया गया है। भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश, प्रमुख आर्थिक शक्ति, परमाणु शक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में अग्रणी योगदानकर्ता होने के कारण अपनी स्थायी सदस्यता का मजबूत दावा प्रस्तुत करता है।

(ख) Uniting for Consensus (UfC) प्रस्ताव – G4 प्रस्ताव के विरोध में Uniting वित Consensus (UfC) समूह ने वैकल्पिक सुधार मॉडल प्रस्तुत किया है। इस समूह में इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको तथा कुछ अन्य देश शामिल हैं। इन देशों का मत है कि नए स्थायी सदस्य जोड़ने से परिषद और अधिक असमान हो जाएगी। UfC समूह का सुझाव है कि स्थायी सदस्यता का विस्तार करने के बजाय अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जाए। इसके अनुसार सदस्य देशों को अधिक अवसर मिलेंगे और परिषद अधिक उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक बनेगी। यह समूह वीटो शक्ति के विस्तार का भी विरोध करता है और मानता है कि भविष्य में वीटो के प्रयोग को सीमित किया जाना चाहिए।

(ग) अफ्रीका के प्रतिनिधित्व की मांग – सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में अफ्रीका, जहाँ संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य देश हैं, का कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे वैश्विक प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी असमानताओं में से एक माना जाता है। अफ्रीकी संघ (African Union) ने Ezulwini Consensus तथा Sirte Declaration के माध्यम से मांग की है कि अफ्रीका को कम–से–कम दो स्थायी सीटें तथा पाँच अस्थायी सीटें प्रदान की जाएँ। अफ्रीकी देशों का तर्क है कि सुरक्षा परिषद के अधिकांश शांति स्थापना अभियान और सुरक्षा संबंधी मुद्दे अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़े होते हैं, इसलिए निर्णय–प्रक्रिया में उनकी स्थायी भागीदारी आवश्यक है।

(घ) वीटो प्रणाली में सुधार – वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद की सबसे विवादास्पद विशेषता रही है। सीरिया, यूक्रेन और गाजा जैसे संकटों में बार–बार वीटो के प्रयोग ने परिषद की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए हैं। इसी संदर्भ में फ्रांस–मेक्सिको पहल (France–Mexico Initiative) ने सुझाव दिया कि नरसंहार (Genocide), मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes against Humanity) तथा युद्ध अपराध (War Crimes) जैसी गंभीर मानवीय परिस्थितियों में स्थायी सदस्य स्वेच्छा से (Voluntary Restraint) वीटो का प्रयोग न करें। इस पहल का उद्देश्य मानवीय संकटों के दौरान सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी बनाना है।

(ड.) सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार – अनेक विशेषज्ञों और सदस्य देशों का मत है कि वर्तमान 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद विश्व के बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसलिए परिषद का विस्तार कर इसकी सदस्य संख्या 24 से 26 तक करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (Small Island Developing States) को अधिक प्रतिनिधित्व

दिया जाना चाहिए। इससे निर्णय–प्रक्रिया अधिक समावेशी होगी तथा वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज को भी पर्याप्त स्थान मिलेगा।

11. सुधारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर व्यापक सहमति दिखाई देती है, फिर भी इन सुधारों को लागू करना अत्यंत कठिन सिद्ध हुआ है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

(क) स्थायी सदस्यों के हितों का टकराव – पाँच स्थायी सदस्य (P5) अपने विशेषाधिकारों, विशेषकर वीटो शक्ति, को सीमित करने के पक्ष में नहीं हैं। चूँकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए इन्हीं देशों की स्वीकृति आवश्यक है, इसलिए किसी भी व्यापक सुधार की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो जाती है।

(ख) सदस्य देशों के बीच मतभेद – सुरक्षा परिषद के विस्तार के स्वरूप, नए स्थायी सदस्यों की संख्या, वीटो के भविष्य तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर सदस्य देशों के बीच व्यापक मतभेद हैं। G4, Uniting for Consensus, अफ्रीकी संघ तथा अन्य क्षेत्रीय समूहों के प्रस्ताव परस्पर भिन्न हैं, जिसके कारण सर्वसम्मति बनाना कठिन है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की जटिल प्रक्रिया – संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी भी संशोधन के लिए महासभा में दो–तिहाई बहुमत के साथ–साथ सभी पाँच स्थायी सदस्यों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। यह प्रक्रिया सुधारों को राजनीतिक रूप से अत्यंत कठिन बना देती है।

(घ) शक्ति–संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा – कई क्षेत्रों में यह विवाद बना हुआ है कि स्थायी सदस्यता किस देश को दी जाए। उदाहरण के लिए एशिया में भारत की दावेदारी का पाकिस्तान विरोध करता है, जबकि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में भी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा सुधार प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

12. निष्कर्ष

21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों ने सुरक्षा परिषद की भूमिका को अधिक व्यापक, जटिल और बहुआयामी बना दिया है। आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांति स्थापना अभियानों तथा प्रतिबंध व्यवस्था के क्षेत्र में परिषद ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके विपरीत, सीरिया, रूसदृयूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों में स्थायी सदस्यों के मतभेद तथा वीटो शक्ति के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य संकट जैसे गैर–पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर परिषद की भूमिका अभी भी विकसित हो रही है। अतः समकालीन वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा परिषद की संरचना, निर्णय–प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीय हो चुकी है, जबकि परिषद की संरचना अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति–संरचना पर आधारित है। G4, अफ्रीकी संघ तथा अन्य सुधार प्रस्ताव परिषद को अधिक प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं, वहीं Uniting for Consensus समूह वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है। स्थायी सदस्यों के राजनीतिक हित, वीटो शक्ति, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तथा चार्टर संशोधन की जटिल प्रक्रिया सुधारों के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। इसलिए भविष्य में ऐसा संतुलित सुधार मॉडल विकसित करना आवश्यक होगा, जो प्रतिनिधित्व, प्रभावशीलता, वैधता और निर्णय–क्षमता चारों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बदलती भूमिका 21वीं सदी की वैश्विक वास्तविकताओं से मेल नहीं खा रही है। वीटो शक्ति के दुरुपयोग, स्थायी सदस्यों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, प्रतिनिधित्व की कमी तथा नई चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद और महामारियों पर अपर्याप्त ध्यान ने बहुपक्षीय संस्था के रूप में UNSC की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमजोर किया है। सीरिया, यूक्रेन और गाजा जैसे संकटों में बार–बार हुई निष्क्रियता यह स्पष्ट करती है कि 1945 की संरचना आज की बहुध्रुवीय दुनिया में अपर्याप्त और अप्रासंगिक हो चुकी है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष है कि UNSC शांति बनाए रखने में कुछ हद तक सफल रहा है, किंतु P5 देशों की संकीर्ण

राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता ने इसे अक्सर लकवाग्रस्त कर दिया है। परिणामस्वरूप, वैश्विक शांति और सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान अन्य मंचों या एकतरफा कार्रवाइयों की ओर मुड़ रहा है, जो बहुपक्षवाद के सिद्धांत को ही खतरे में डाल रहा है।

संदर्भ

1. बेलामी, ए. जे., एवं विलियम्स, पी. डी. (2022). अंडरस्टैंडिंग पीसकीपिंग (तृतीय संस्करण). पॉलिटी प्रेस।
2. बोस्को, डी. (2009). फाइव टू रूल देम ऑलः द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. चेस्टरमैन, एस., मेलोन, डी. एम., एवं वेलन, पी. (सम्पा.). (2016). द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन द 21स्ट सेंचुरी. लिन रीनर पब्लिशर्स।
4. हर्ड, आई. (2021). अंतरराष्ट्रीय संगठनः राजनीति, विधि एवं व्यवहार (चतुर्थ संस्करण). कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. लक, ई. सी. (2006). संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः व्यवहार एवं संभावनाएँ. रूटलेज।
6. मेलोन, डी. एम. (सम्पा.). (2010). संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः शीत युद्ध से 21वीं सदी तक. लिन रीनर पब्लिशर्स।
7. मेलोन, डी. एम., वॉन आइन्सीडेल, एस., एवं उगार्टे, बी. (सम्पा.). (2016). 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद. लिन रीनर पब्लिशर्स।
8. रॉबर्ट्स, ए., एवं जॉम, डी. (सम्पा.). (2013). चयनात्मक सुरक्षाः युद्ध और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (1945 के बाद). रूटलेज।
9. ठाकुर, रमेश. (2017). संयुक्त राष्ट्र, शांति एवं सुरक्षाः सामूहिक सुरक्षा से 'रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट' तक (द्वितीय संस्करण). कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. वीस, टी. जी., एवं डॉज, एस. (सम्पा.). (2018). द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द यूनाइटेड नेशंस (द्वितीय संस्करण). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. वीस, टी. जी. (2016). संयुक्त राष्ट्र में क्या गलत है और इसे कैसे सुधारा जाए (तृतीय संस्करण). पॉलिटी प्रेस।
12. संयुक्त राष्ट्र. (2024). सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली का संकलन (त्मचमतजवपतम व िजीम च्तंबजपबम व िजीम ैमबनतपजल ब्वनदबपस). संयुक्त राष्ट्र।
13. संयुक्त राष्ट्र. (2024). महासचिव की संगठन के कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट. संयुक्त राष्ट्र।